न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

निगरानी संख्या–16/2021

1. बुद्धराम पुत्र स्व. श्री रामकरण, उम्र 52 वर्ष, जाति मेघवाल, पेशा मजदूरी निवासी बड़ागांव, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

–निगरानीकार

–बनाम–

1. श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री शीशराम तानेना, उम्र 53 वर्ष, जाति मेघवाल, पेशा गृहणी, निवासी बड़ागांव, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
2. ग्राम पंचायत बड़ागांव, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू जरिये सरपंच ।

– गैर निगरानीकार

निगरानी अं0धारा 97 राज0 पंचायती राज अधि0 1994
नियम विरूद्ध पट्टा संख्या 74 दिनांकित 18.9.2019
ग्राम पंचायत बड़ागांव, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

उपस्थितिः–

1. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानिया, एडवोकेट––––––निगरानीकार की ओर से।
2. श्री विजयपाल एडवोकेट––––––––––––गैर निगरानीकार की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 21.07.2022

उक्त निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 18.09.2019 सरपंच ग्राम पंचायत बड़ागांव पंचायत समिति उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि– निगरानीकार का कथन है कि– ग्राम [illegible] निगरानीकार के स्वामित्व व कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:05 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

की गुवाड़ी स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 2340 वर्ग फीट या 260 वर्गगज या 217 वर्गमीटर है। निगरानीकार उक्त गुवाड़ी में मय परिवार लगभग 28 वर्ष से आबाद है तथा उक्त गुवाड़ी में निगरानीकार विदेश में नौकरी करता है इसलिए उसने वर्ष 2010 से अपने पुत्र अमित के नाम से विधुत कनेक्शन भी ले रखा है तथा 2015 से निगरानीकार ने अपने नाम से विधुत कनेक्शन ले रखा है। गैर निगरानीकार संख्या 1 संतोष देवी निगरानीकार के भाई शीशराम की पत्नी है। गैर निगरानीकार संख्या 1 के पति का गुवाड़ी निगरानीकार की गुवाड़ी के पश्चिम दिशा में लास्ट में पड़ती है, जिसमें एक मकान बना रखा है। अब गैर निगरानीकार संख्या–1 अपने पति के साथ पिछले 21 वर्षों से कस्बा उदयपुरवाटी में स्वयं का मकान बनाकर उसमें रह रही है। गैर निगरानीकार संख्या–1 ने निगरानीकार की गुवाड़ी पर कब्जा करने की नियत से ग्राम पंचायत बड़ागांव सरपंच से साज करके गलत रूप से पट्टा जारी करवाया गया है। निगरानीकार ने निगरानी की धारा 1 में वर्णित गुवाड़ी में तीन पक्के मकानात, रसोई घर, टॉयलेट, बाथरूम एवं वाटर टैंक बना रखा है तथा तीन मकानात की निंव भर रखी है तथा निगरानीकार मय परिवार उक्त गुवाड़ी निर्विवाद रूप से आबाद है। आज तक निगरानीकार एवं निगरानीकार के परिवार के रिहायशी मकानों में कोई किसी भाई एवं भाइयों के परिवारवालों को कोई आपत्ति अथवा एतराज नहीं रहा है। आज भी निगरानीकार ही अपनी रिहायसी गुवाड़ी पट्टा संख्या 74 में वर्णित गुवाड़ी में सपरिवार रह रहा है।

निगरानीकार का कथन है कि गैर निगरानीकार संख्या 1 उक्त पट्टा जारी करवाने से पूर्व भलीभांति जानती थी कि उक्त भूमि का स्वामित्व आधिपत्य एवं अधिकार व कब्जा निगरानीकार का है, लेकिन गैर निगरानीकार संख्या 1 ने पति शीशराम के कहे अनुसार गैर निगरानीकार संख्या 2 के यहां गलत रूप से पट्टा जारी करवाने हेतु 129.89 वर्गगज भूमि का आवेदन किया है। उक्त पट्टा आरम्भ से ही शून्य व अवैध है जो निरस्त होने योग्य है। विवादित पट्टे में वर्णित भूमि निगरानीकार के भाई मदन लाल की खरीदशुदा भूमि रही है जो मदन लाल द्वारा आपसी समझाते में निगरानीकार को लिखा पढी कर दिनांक 28.2.2015 को कब्जे सहित सोंपी गई थी। दिनांक 28.2.2015 से आज दिनांक तक निगरानीकार ही उक्त विवादित पट्टाशुदा भूमि पर काबिज चला आ रहा है व उपयोग उपभोग निर्विवाद रूप से कर रहा हे। उक्त पट्टशुदा भूमि पर गैर निगरानीकार संख्या 1 का कभी कोई कब्जा नहीं रहा न ही वर्तमान में है इस कारण पट्टा संख्या 74 दिनांक 18.9.2019 निरस्त होने योग्य है। गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के पट्टा आवेदन के साथ अथवा बाद में गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा पट्टा की माग की गई भूमि बाबत पैत्रिक व पूर्वजों की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:05 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

होने का शपथ पत्र संलग्न होने के बावजूद स्व. रामकरण के पुत्र मदनलाल, राजेन्द्र व निगरानीकार से कोई सहमति उक्त पट्टा जारी करने बाबत नहीं ली गई तथा ना ही उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व रामकरण के पुत्र मदनलाल, राजेन्द्र व निगरानीकार को कोई आपति नोटिस जारी किया गया। पट्टा पत्रावली में कार्यवाही विवरण के मुताबिक पटवारी हल्का की कोई रिपोर्ट शामिल नहीं है। पंचकमिशन की भी कोई निरीक्षण रिपोर्ट पट्टा पत्रावली में शामिल नहीं है। विवादित पट्टा के संबंध में सम्पूर्ण कार्यवाही अवैधानिकता पूर्व की जाकर विवादित पटटा जारी किया गया है, इस कारण भी विवादित पट्टा निरस्त होने योग्य है।

अंत में निगरानी पेश कर निवेदन किया गया कि निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा जारी पटटा संख्या 74 दिनांक 18.9.2019 बहक संतोष देवी पत्नी शीशराम निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि– ग्राम बड़ागांव में निगरानीकार के स्वामित्व व कब्जे की गुवाड़ी स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 2340 वर्ग फीट या 260 वर्गगज या 217 वर्गमीटर है। निगरानीकार उक्त गुवाड़ी में मय परिवार लगभग 28 वर्ष से आबाद है तथा उक्त गुवाड़ी में निगरानीकार विदेश में नौकरी करता है इसलिए उसने वर्ष 2010 से अपने पुत्र अमित के नाम से विधुत कनेक्शन भी ले रखा है तथा 2015 से निगरानीकार ने अपने नाम से विधुत कनेक्शन ले रखा है। गैर निगरानीकार संख्या 1 संतोष देवी निगरानीकार के भाई शीशराम की पत्नी है। गैर निगरानीकार संख्या 1 के पति का गुवाड़ी निगरानीकार की गुवाड़ी के पश्चिम दिशा में लास्ट में पड़ती है, जिसमें एक मकान बना रखा है। अब गैर निगरानीकार संख्या–1 अपने पति के साथ पिछले 21 वर्षों से कस्बा उदयपुरवाटी में स्वयं का मकान बनाकर उसमें रह रही है। गैर निगरानीकार संख्या–1 ने निगरानीकार की गुवाड़ी पर कब्जा करने की नियत से ग्राम पंचायत बड़ागांव सरपंच से साज करके गलत रूप से पट्टा जारी करवाया गया है। निगरानीकार ने निगरानी की धारा 1 में वर्णित गुवाड़ी में तीन पक्के मकानात, रसोई घर, टॉयलेट, बाथरूम एवं वाटर टैंक बना रखा है तथा तीन मकानात की निंव भर रखी है तथा निगरानीकार मय परिवार उक्त गुवाड़ी निर्विवाद रूप से आबाद है। आज तक निगरानीकार एवं निगरानीकार के परिवार के रिहायशी मकानों में कोई किसी भाई एवं भाइयों के परिवारवालों को कोई आपत्ति अथवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:05 IST
Reason: SelfAttested

एतराज नहीं रहा है। आज भी निगरानीकार ही अपनी रिहायसी गुवाड़ी पट्टा संख्या 74 में वर्णित गुवाड़ी में सपरिवार रह रहा है।

निगरानीकार का कथन है कि गैर निगरानीकार संख्या 1 उक्त पट्टा जारी करवाने से पूर्व भलीभांति जानती थी कि उक्त भूमि का स्वामित्व आधिपत्य एवं अधिकार व कब्जा निगरानीकार का है, लेकिन गैर निगरानीकार संख्या 1 ने पति शीशराम के कहे अनुसार गैर निगरानीकार संख्या 2 के यहां गलत रूप से पट्टा जारी करवाने हेतु 129.89 वर्गगज भूमि का आवेदन किया है। उक्त पट्टा आरम्भ से ही शून्य व अवैध है जो निरस्त होने योग्य है। विवादित पट्टे में वर्णित भूमि निगरानीकार के भाई मदन लाल की खरीद शुदा भूमि रही है जो मदन लाल द्वारा आपसी समझाते में निगरानीकार को लिखा पढी कर दिनांक 28.2.2015 को कब्जे सहित सोंपी गई थी। दिनांक 28.2.2015 से आज दिनांक तक निगरानीकार ही उक्त विवादित पट्टाशुदा भूमि पर काबिज चला आ रहा है व उपयोग उपभोग निर्विवाद रूप से कर रहा हे। उक्त पट्टशुदा भूमि पर गैर निगरानीकार संख्या 1 का कभी कोई कब्जा नहीं रहा न ही वर्तमान में है इस कारण पट्टा संख्या 74 दिनांक 18.9.2019 निरस्त होने योग्य है। गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या–1 के पट्टा आवेदन के साथ अथवा बाद में गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा पट्टा की मांग की गई भूमि बाबत पैत्रिक व पूर्वजों की भूमि होने का शपथ पत्र संलग्न होने के बावजूद स्व. रामकरण के पुत्र मदनलाल, राजेन्द्र व निगरानीकार से कोई सहमति उक्त पट्टा जारी करने बाबत नहीं ली गई तथा ना ही उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व रामकरण के पुत्र मदनलाल, राजेन्द्र व निगरानीकार को कोई आपति नोटिस जारी किया गया। पट्टा पत्रावली में कार्यवाही विवरण के मुताबिक पटवारी हल्का की कोई रिपोर्ट शामिल नहीं है। पंचकमिशन की भी कोई निरीक्षण रिपोर्ट पट्टा पत्रावली में शामिल नहीं है। विवादित पट्टा के संबंध में सम्पूर्ण कार्यवाही अवैधानिकता पूर्व की जाकर विवादित पटटा जारी किया गया है, इस कारण भी विवादित पट्टा निरस्त होने योग्य है। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा जारी पटटा संख्या 74 दिनांक 18.9.2019 बहक संतोष देवी पत्नी शीशराम निरस्त फरमाया जावे।

गैर निगरानीकार की और से विद्वान अधिवक्ता श्री विजयपाल ने कथन किया कि विवादित भूखण्ड पर गैर निगरानीकार का काफी वर्षो पुराना कब्जा है और ग्राम पंचायत बड़गांव द्वारा विधिक प्रकिया अपनायी जाकर नियमानुसार शुल्क जमा कर गैर निगरानीकार को पट्टा संख्या 74 दिनांक 18.09.2019 जारी किया गया है [illegible] कोई विधिक त्रुटि नहीं है। पट्टा संख्या 74 की भूमि से निगरानीकार व उसके भाईयों का [illegible] लेनादेना नहीं है। पट्टा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:05 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

74 की भूमि गुवाड़ी में वर्षों पूर्व से गैरनिगरानीकार संख्या 1 अपने परिवार सहित आबाद हैं इसमें परिवार के किसी अन्य भाई का कोई लेनादेना नहीं है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2019 सीजे (Rent Control) 225 पेश की गई।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। ग्राम पंचायत बड़ागांव की पट्टा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत बड़ागांव की पट्टा पत्रावली में सभी दस्तावेजात जिसमें पट्टा प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदन से लेकर पट्टे से संबंधित सभी औपचारिकताएं एक ही व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा को भरकर केवल हस्ताक्षर करवाये गये है। पट्टा आवेदन में प्रार्थीया गैर निगरानीकार द्वारा यह भी अंकित नहीं किया गया है कि विवादग्रस्त भूमि गुवाड़ी पर उसका कब से कब्जा है। पट्टा आवेदन पत्र में उत्तर में बुद्धराम का घर, दक्षिण में रामधारी शर्मा का घर पूर्व में आम रास्ता व पश्चिम में बुद्धराम के घर होना अंकित किया गया है, जबकि पड़ौसियों के बयान के रूप में परमेश्वरलाल पुत्र बच्चन सिंह राजपूत एवं आजाद कुमार पुत्र श्री झाबरमल मेघवाल निवासी बड़ागांव के बयान निर्धारित प्रारूप को एक व्यक्ति की हस्तलिपि में भरकर परमेश्वर लाल के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। बयान किस तारीख को किसके द्वारा लिये गये अंकित नहीं है। आवेदन पत्र के साथ जो ब्ल्यू प्रिंट नक्शा लगाया गया है उसमें भूमि खाली दिखाई गई है ना ही इस नक्शे पर भी किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं। पट्टा पत्रावली में आपत्ति नोटिस जारी करने का कोई दस्तावेजात नहीं हैं। पट्टा पत्रावली की आदेशिकाओं में कांट–छांट कर रखी है जिसको देखने से प्रतीत होता है कि सारी कार्यवाही अवैधानिक रूप से एक साथ की गई प्रतीत होती है। हस्तगत प्रकरण में गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या–1 के पट्टा आवेदन के साथ अथवा बाद में गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा पट्टा की मांग की गई भूमि बाबत पैत्रिक व पूर्वजों की भूमि होने का शपथ पत्र संलग्न होने के बावजूद स्व. रामकरण के पुत्र मदनलाल, राजेन्द्र व निगरानीकार से कोई सहमति उक्त पट्टा जारी करने बाबत नहीं ली गई तथा ना ही उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व रामकरण के पुत्र मदनलाल, राजेन्द्र व निगरानीकार को कोई आपति नोटिस जारी किया गया। पट्टा पत्रावली में कार्यवाही विवरण के मुताबिक पटवारी हल्का की कोई रिपोर्ट शामिल नहीं है। निगरानीकार का कथन है कि विवादित पट्टे की भूमि उसके स्वामित्व व कब्जे की गुवाड़ी है जिसमें निगरानीकार मय परिवार लगभग 28 वर्ष से आबाद है। वर्ष 2010 से अपने पुत्र अमित के नाम से विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है तथा 2015 से निगरानीकार ने अपने नाम से विद्युत कनेक्शन ले रखा है। गैर निगरानीकार संख्या–1

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:05 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

अपने पति के साथ पिछले 21 वर्षों से कस्बा उदयपुरवाटी में स्वयं का मकान बनाकर उसमें रह रही है। पत्रावली पर विधुत बिल आदि की प्रतियां प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होने से स्वीकार की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बड़ागांव द्वारा श्रीमती संतोष पत्नी शीशराम के नाम से जारी पट्टा संख्या–74 दिनांक 18.09.2019 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत बड़ागांव को भिजवायी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 21.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:05 IST
Reason: SelfAttested